

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क मांक 09/2014 क्लेम

संस्थापित दिनांक 06.02.2014

लीलाधर शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, उम्र 26 वर्ष,
निवासी ग्राम खनेता, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
----- आवेदक

एवं

प्रकरण क मांक 10/2014 क्लेम

संस्थापित दिनांक 06-02-2014

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नी लीलाधर शर्मा, म्र 20 वर्ष,
निवासी ग्राम खनेता, तहसील गोहद, जिला भिण्ड
म०प्र० ।

----- आवेदिका

एवं

प्रकरण क मांक 11/2014 क्लेम

संस्थापित दिनांक 06.02.2014

प्रशांत शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, उम्र 14 वर्ष, द्वारा
सरपरस्त पिता जगदीश शर्मा पुत्र श्री विद्याराम शर्मा,
निवासी ग्राम खनेता, तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
----- आवेदक

बनाम

1. विमल कुमार पुत्र श्री किशनप्रसाद, निवासी ग्राम करोरी,
पोस्ट बचेला बचेली, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद
उत्तरप्रदेश ।

-----वाहन चालक

2 प्र0कं0 09/2014 क्लेम, 10/2014 क्लेम व 11/2014

2. मो. ईसाक खान पुत्र मो. यूसुफ खान, निवासी 462
कटरा शमशेद खान इटावा-01 उ0प्र0
206001

- वाहन मालिक
3. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड सिटी सेंटर,
सेन्टर पोट लश्कर ग्वालियर म0प्र0
-----अनावेदकगण

तीनों प्रकरणों के— आवेदकगण द्वारा श्री एस0पी0शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक कं0 1, 2 एक पक्षीय।
अनावेदक कं0 3 द्वारा श्री आर0के0वाजपेई अधिवक्ता

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 30-06-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तीनों अलग अलग क्लेम याचिकाओं/ आवेदनपत्र धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक ही घटनाक्रम से और एक ही वाहन से दुर्घटना घटित होने से संबंधित होने से उक्त तीनों ही प्रकरणों का संयुक्त रूप से निराकरण किया जा रहा है। जो कि प्र0कं0 10/2014 क्लेम लक्ष्मी शर्मा वि0 विमल कुमार आदि के साथ अन्य क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2014 एवं 11/2014 को संयोजित कर एक साथ उनका निराकरण किया जा रहा है। जिसमें कि आवेदकगणों के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 75 एम. 1794 के चालक, वाहन स्वामी और बीमा कम्पनी के विरुद्ध आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी शर्मा एवं आवेदकगण लीलाधर शर्मा एवं प्रशांत शर्मा जो कि नावालिग है की ओर से उसके पिता सरपरस्त जगदीशप्रसाद शर्मा की ओर से मोटरयान दुर्घटना में गंभीर उपहति होने के फलस्वरूप क्रमशः 30,00,000/- रूपए एवं 2,50,000/- रूपए एवं 2,50,000/-रूपए प्रतिकर स्वरूप एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक व्याज दिलाए जाने बावत् निवेदन किया गया है।

02. यह अविवादित है कि प्रश्नाधीन वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 75 एम. 1794 का अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है तथा उसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 है और उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

तीनों प्रकरणों से संबंधित समान तथ्य :-

03. तीनों ही क्लेम प्रकरणों के संबंध में समान तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण जो कि आपस में एक दूसरे के रिस्तेदार हैं दिनांक 20.11.2013 को अपने घर ग्राम खनेता से परीक्षा देने भिण्ड जा रहे थे। मोटरसाइकिल को आवेदक लीलाधर शर्मा चला रहा था। उनकी मोटरसाइकिल जैसे ही पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा आम रोड पर आए तभी ग्वालियर तरफ की ओर से एक ट्रक क्रमांक यू.पी. 75 एम. 1794 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी तथा उसके पति लीलाधर शर्मा एवं साथ में बैठे उसके देवर प्रशांत शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा को चोटें आयी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में की गई जिस पर कि अप0क0 270/2013 धारा 279, 337 भा0दं0वि0 का प्रश्नाधीन वाहन के चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कि आहता श्रीमती लक्ष्मी को फ्रेक्चर होने से धारा 338 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। वाहन की जप्ती की गई। अनावेदक क्रमांक 1 जिसके द्वारा किया घटना के समय वाहन तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 जो कि उसका स्वामी है के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पेश किया गया।

क्लेम प्र0क0 10/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

04. आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी शर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के विशिष्ट तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका दुर्घटना के समय 20 वर्ष की हष्टपुष्ट महिला होकर सिलाई का कार्य करती थी जिससे वह 5000/- रुपए प्रतिमाह आय अर्जित कर लेती थी। उक्त दुर्घटना में उसके बांये पैर की पिण्डली में गम्भीर चोट आई थी। चोटों के कारण उसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल गोहद लाया गया जहां से उसे ग्वालियर के लिए रिफर किया गया, ग्वालियर में बिडला अस्पताल में उसका इलाज चला था। आवेदिका के पैर की स्थिति खराब होने से उसे दिनांक 20.12.2013 को ही उसे दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ कि वह दिनांक 21.11.13 से दिनांक 13.12.2013 तक भर्ती रही। आवेदिका का इलाज सहारा हॉस्पिटल में चला है। आवेदिका को दुर्घटना में चोटें आने के कारण काफी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट सहना पड़ा है और वह व्यवसाय नहीं कर पा रही है। आवेदिका को इलाज के दौरान दवाइयाँ, आने जाने में तथा डॉक्टर फीस भर्ती रहने के दौरान लगभग 12,00,000/- रुपए व्यय हुआ है। दुर्घटना में आई चोटों से आवेदिका का

पैर पूर्ण रूप से खराब होकर स्थाई विकलांगता आ गई है। दुर्घटना में आवेदिका को आई चोटें आई हैं जिससे उसे स्थाई विकलांगता आ गई है तथा उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ा है और इलाज में भी व्यय हुआ है। प्रश्नाधीन वाहन आवेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। ऐसी दशा में आवेदिका को विभिन्न मदों में 30,00,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन आवेदिका के द्वारा किया गया है।

क्लेम प्र0क्रं0 11/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

05. घटना के समय प्रशान्त शर्मा 14 वर्ष का होकर अपने पिता जगदीश शर्मा को खेती में सहयोग करता था और तीन हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता था। दुर्घटना में उसके बांये पैर के घुटने और दांयी साईड के भोंह के आंख के उपर और कोहनी के नीचे गम्भीर चोट आयी थी। उसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल गोहद लाया गया किन्तु उसकी स्थिति ठीक न होने से उसे बिडला अस्पताल ग्वालियर ईलाज हेतु लाया गया। दुर्घटना में चोट के कारण उसका पैर पूर्ण रूप से खराब हो जाना और फ्रेक्चर होकर स्थायी विकलांगता आना बताया गया है। चोटों के कारण उसे डॉक्टर की फीस दबाईयां आदि पर 50000/-रुपये व्यय हुये और वह अपने नित्य कर्म आदि करने में भी समर्थ नहीं है। दुर्घटना के कारण आयी उपहति के इलाज व अन्य मदों में 2,50,000/-रुपये प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

क्लेम प्र0क्रं0 09/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

06. दुर्घटना के समय आवेदक लीलाधर की उम्र 26 वर्ष होकर नवयुवक था और गोहद पहाड पर क्रेसिंग मशीन की देखभाल करता था जिससे 4000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। उपरोक्त दुर्घटना में उसके बांये पैर में गम्भीर चोट आकर फ्रेक्चर हो गया था। उसे ईलाज हेतु गोहद अस्पताल लाया गया जहां उसे गम्भीर स्थिति होने से उसे ईलाज हेतु बिडला अस्पताल ग्वालियर लाया गया। उसकी पत्नी की चोटों को ईलाज हेतु अपोलो अस्पताल दिल्ली भेजा गया जहां पर उसका भी ईलाज हुआ था। चोटों के कारण उसे फ्रेक्चर होने से स्थायी विकलांगता आयी है। चोटों के कारण उसे डॉक्टर की फीस दबाईयां आदि पर 50,000/-रुपये व्यय हुये और वह अपने नित्य कर्म आदि करने में भी समर्थ नहीं है। दुर्घटना के कारण आयी उपहति हेतु विभिन्न मदों में 2,50,000/-रुपये प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

07. अनावेदक कं0 1, 2 के द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश कर स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त क्लेम याचिका के अभिवचनों को इन्कार करते हुये ट्रक क्रमांक यू0पी075 एम 1794 के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने और उसके द्वारा कोई दुर्घटना घटित किये जाने से साफ तौर से इन्कार किया है और यह बताया है कि मोटरसायकिल चालक के द्वारा स्वयं अपनी लापरवाही से मोटरसायकिल चलाये जाने से और उसकी मोटरसायकिल अनियंत्रित होने से दुर्घटना कारित हुयी है। इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित है, यदि कोई प्रतिकर का दायित्व होता है तो वह भी बीमा कंपनी का है उनके विरुद्ध दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. अनावेदक कं0 3 बीमा कंपनी के द्वारा अपने जवाब में प्रश्नाधीन चालक की तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने और ट्रक के द्वारा कोई दुर्घटना कारित करना और उपरोक्त दुर्घटना में किसी भी आवेदक या आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई चोट आकर उपहति आना अथवा उन्हें फ्रेक्चर होना या स्थायी विकलांगता आने से इन्कार किया है। आवेदकगण के द्वारा उनकी आय के संबंध में बताये गये तथ्य को भी गलत होना बताया है। ईलाज के संबंध में आवेदकगण के द्वारा बताये गये व्यय अथवा उन्हें किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता आने से भी इन्कार किया गया है। वाहन क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 के द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी है उक्त वाहन को दुर्घटना में झूठा फसाया गया है इस कारण आवेदक कोई भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

09. इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन ट्रक का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था। उक्त वाहन चालक के पास वाहन चलाने का कोई वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस, रूट परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं था जिस कारण बीमा कंपनी का कोई प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है। मोटरसायकिल को उसका चालक बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के बिना चलाया जा रहा था तथा मोटरसायकिल पर तीन व्यक्ति बैठे हुये थे जो कि ओवरलोडिंग थी। मोटरसायकिल के स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दुर्घटना स्वयं मोटरसायकिल चालक की लापरवाही के कारण घटित हुयी है। ऐसी दशा में अनावेदक कं03 बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व न होने से उनके संबंध में दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

प्रकरण क मांक 9/14 क्लेम

क0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 20-11-13 को पटेल मार्केट के सामने ग्वालियर भिण्ड आम रोड गोहद चौराहा में अनावेदक क्रमांक -1 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति कारित की ?	
2	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थायी असक्तता कारित हुयी ?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक एम0पी0 75 एम 1794 का चालक उक्त वाहन को बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के बिना चला रहा था ? यदि हो तो प्रभाव ?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक परमिट एवं फिटनेस के बिना चलाया जा रहा था ?	
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो किस से एवं कितना ?	
6-	सहायता एवं व्यय ?	

प्रकरण क्रमांक 11/14 क्लेम

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 20-11-13 को पटेल मार्केट के सामने ग्वालियर भिण्ड आम रोड गोहद चौराहा में अनावेदक क्रमांक -1 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति कारित की ?	
2	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थायी असक्तता कारित हुयी ?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक एम0पी0 75 एम 1794 का चालक उक्त वाहन को बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के बिना चला रहा था ? यदि हो तो प्रभाव ?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक परमिट एवं फिटनेस के बिना चलाया जा रहा था ?	
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो किस से एवं कितना ?	
6-	सहायता एवं व्यय ?	

प्रकरण कमांक 10/14 क्लेम

क0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 20-11-13 को पटेल मार्केट के सामने ग्वालियर भिण्ड आम रोड गोहद चौराहा में अनावेदक क्रमांक -1 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदिका को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति कारित की ?	
2	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदिका को स्थायी असक्तता कारित हुयी ?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक एम0पी0 75 एम 1794 का चालक उक्त वाहन को बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के बिना चला रहा था ? यदि हो तो प्रभाव ?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक परमिट एवं फिटनेस के बिना चलाया जा रहा था ?	
5	क्या आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किस से एवं कितना ?	
6-	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

तीनों ही प्रकरणों के विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-

11. क्लेम प्र0कं0 10/14 की आवेदिका एवं आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी लक्ष्मी शर्मा आवेदिका साक्षी क्रं. 2 के द्वारा अपने शपथ पर साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि ग्राम खनेता से भिण्ड मोटरसायकिल में बैठकर जा रही थी जो कि उसका पति लीलाधर मोटरसायकिल चला रहा था, जैसे ही मोटरसायकिल पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहे पर पहुंची उसी समय ग्वालियर तरफ से ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 का चालक तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर लाया और उसकी मोटरसायकिल में पीछे से टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना से उसके बांये पैर की हडडी में फ्रेक्चर हो गया और पैर पूरी तरह कुचल गया, उसे ईलाज हेतु गोहद अस्पताल ले जाया गया जहां उसका प्रारम्भिक ईलाज हुआ उसके बाद उसे ईलाज हेतु ग्वालियर रेफर किया गया जहां बिडला अस्पताल में उसका ईलाज चला, लेकिन उसकी गम्भीर हालत को देखते हुये उसे अपोलो अस्पताल ले जाया गया जहां वह भर्ती रही और उसका ईलाज हुआ। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहे में दर्ज करायी गयी। आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जो प्र0पी0 1 लगायत 20 है पेश किये है।

12. उक्त साक्षिया जो कि घटना की आहत भी है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा बताया गया है कि मोटरसाइकिल को उसके पति लीलाधर शर्मा चला रहे थे। साक्षिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना के तुरन्त बाद वह वेहोश नहीं हुई थी। ट्रक का नम्बर उसे याद है जो कि साक्षिया के द्वारा ट्रक का नम्बर प्रतिपरीक्षण में भी बताया गया। साक्षिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि ट्रक का नम्बर वह नहीं देख पाई थी। साक्षिया ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके पति के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलकार घटना कारित है और इस सुझाव से इन्कार किया है कि ट्रक के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। इस प्रकार साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके मुख्य परीक्षण में किया गया कथन किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुए है।

13. उपरोक्त संबंध में घटना का अन्य बताया गया आहत एवं आवेदक क्लेम प्र0कं0 9/14 का आवेदक लीलाधर शर्मा आ0सा0 3 भी अपने साक्ष्य कथन में घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 एम 1794 के चालक के द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसायकिल में पीछे से घटनास्थल पर टक्कर मार देना जिससे उसके बांये पैर में

तथा शरीर के अन्य जगह चोटें आई थी। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, उक्त साक्षी जो कि घटना का आहत भी है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना कारित की है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नम्बर देख लेना और न्यायालय में पूछे जाने पर उसका नम्बर सही रूप से बताया है। साक्षी के द्वारा इस सुझाव से इन्कार किया है कि ट्रक से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। दुर्घटना मोटरसाइकिल जिसे वह चला रहा था उसके रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास मौजूद न होना और दुर्घटना के समय गिर जाना साक्षी बता रहा है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी के द्वारा मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन या स्वयं के वाहन चलाने हेतु अधिकृत होने के संबंध में स्वयं का कोई ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया गया है, घटना घटित होने के संबंध में उसके द्वारा बताये गए तथ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी यद्यपि मोटरसाइकिल में उसके सहित तीन व्यक्तियों के बैठे होने की बात को स्वीकार किया है, जैसा कि आवेदिका साक्षी लक्ष्मी शर्मा के द्वारा भी स्वीकार किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि मोटरसाइकिल में तीन व्यक्ति बैठे हुए थे, जब तक कि यह प्रमाणित नहीं है कि मोटरसाइकिल चालक के द्वारा स्वयं तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने से कोई घटना कारित की गई है या घटना में कोई योगदान किया गया है, इस संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

14. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी जगदीश शर्मा जो कि नावालिग प्रशांत शर्मा का पिता एवं सरपरस्पत है के द्वारा भी प्रश्नाधीन ट्रक के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने जिसमें कि उसके पुत्र प्रशांत के वांए घुटने में चोट आकर फ्रैक्चर होने के संबंध में बताया गया है। उक्त साक्षी यद्यपि प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में यद्यपि साक्षी को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं कहा जा सकता है, किन्तु उसे दुर्घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात् घटना की जानकारी प्राप्त हुई और उसके द्वारा अपने घायल पुत्र को देखा गया है।

15. दुर्घटना घटित होने के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा किए गए अभिवचन एवं साक्षियों के कथनों की सम्पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 14, अपराध विवरण फॉर्म प्र.पी. 15, प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 की गिरफ्तार पत्रक प्र.पी. 17, प्रश्नाधीन वाहन और उसके

कागजातों की जप्ती प्र.पी. 18 तथा वाहन सुपुर्दगी में लेने हेतु मुख्यारनामा जो कि उसके स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा निष्पादित किया गया है प्र.पी. 19, मैकेनिकल जॉच प्र.पी. 20 तथा प्रकरण में पूर्ण विवेचना की जाकर न्यायालय में पेश अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र. पी. 13 आवेदक पक्ष के द्वारा पेश किए गए हैं, जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 का अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भी घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन डम्पर के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटना कारित करने जिस पर कि वाहन चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने पुष्टि होती है।

16. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक व दास्तावेजी साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में अनावेदक पक्ष के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन ट्रक के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के कथन भी नहीं कराया गया है जो कि इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक पक्ष के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि स्वयं आवेदक पक्ष जो कि आवेदक लीलाधर शर्मा के द्वारा मोटरसाइकिल उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाई जाकर दुर्घटना कारित की गई है, किन्तु इस बिन्दु पर में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं है और न ही प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आवेदक मोटरसाइकिल चालक के दुर्घटना कारित करने में कोई लापरवाही या योगदान होना प्रमाणित होना पाया जाता है।

17. उपरोक्त दुर्घटना में आहता लक्ष्मी शर्मा के दाईं टीविया सॉफ्ट एण्ड मिडिल मेलीवियस अस्थि में अस्थिभंग हुआ था, जिसका कि इलाज चला है। इस संबंध में लक्ष्मी के इलाज के संबंध में प्रस्तुत बिल एवं पर्चे आवेदक पक्ष के द्वारा पेश किए गए हैं, जो कि उसे वांए पैर कस इंजुरी पाया जाना मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी. 16 में आया है तथा प्र.पी. 22 के एक्सरे रिपोर्ट में उसको अस्थिभंग होना स्पष्ट होता है। आवेदिका लक्ष्मी शर्मा को अस्थिभंग आना एवं उसका इलाज चलने के संबंध में डॉक्टर राजू वैश्य चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर का भी परीक्षण कराया गया है, जो कि उनके द्वारा उक्त आहता के वांए पैर की टीविया एवं फिबूला अस्थि कई जगह से टूट जाना और पैर की खाल तथा मांस पेशियाँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना तथा उसके तीन बड़े ऑपेशन उनके द्वारा किया जाना बताया गया है। इस संबंध में डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 109, 110, 111, 112, 115 उनके द्वारा प्रमाणित किये गए हैं। उक्त आहता लक्ष्मी शर्मा सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर में भी उसे आई हुई चोटों के संबंध में इलाज चला है जिस बिन्दु पर रिकार्ड कीपर सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर के द्वारा डिस्चार्ज

टिकिट प्र.पी. 272, लगायत 277 पेश किये गए हैं। उक्त आहता के इलाज के संबंध में प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं साक्षियों के उपरोक्त कथनों से उसके बाएं पैर में अस्थिभंग होना और अन्य चोटें मौजूद होना जिनका कि लम्बा इलाज चलने के संबंध में सम्पुष्टि होती है। इस प्रकार आवेदिका लक्ष्मी को दुर्घटना के कारण अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित है।

18. उपरोक्त दुर्घटना में क्लेम प्रकरण 11/2014 के आवेदक प्रशांत शर्मा को चोटें आने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उसे पिता वली सरपरस्त जगदीशप्रसाद के द्वारा बताया गया है कि उसके बाएं पैर के घुटने में फ्रैक्चर हो गया था और दाईं साइड के ऊपर तथा कोहनी के नीचे गंभीर चोटें आई थी। आहता प्रशांत शर्मा को आई चोटों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उसके इलाज के बिल एवं पर्चे प्र.पी. 1 लगायत 12 और एक्सरे प्लेट आर्टीकल ए1 पेश की गई है। उक्त आहत की ओर से चिकित्सीय प्रमाण पेश किया गया है उसमें कहीं भी आहत के शरीर के किसी भाग पर अस्थिभंग होना दर्शित नहीं होता है। इस संबंध में कोई एक्सरे रिपोर्ट भी जिससे कि आहत को अस्थिभंग होने की पुष्टि होती हो वह उसकी ओर से पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में उसके पिता जगदीशप्रसाद आ0सा0 1 के द्वारा प्रशांत का इलाज किस डॉक्टर ने किया था उसे जानकारी न होना बताया है। इस परिप्रेक्ष्य में आहत प्रशांत को दुर्घटना में कोई गंभीर चोटें आने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि उसे साधारण चोटें आना पाई जाती है।

19. इसी प्रकार क्लेम प्रकरण क्रमांक 09/2014 के आहत लीलाधर शर्मा को दुर्घटना में चोटों के कारण गंभीर उपहति कारित होने के जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी लीलाधर आ0सा0 3 के द्वारा उसके बाएं पैर के ऐंकल के अंदर डिस्लोकेशन होना और गेप आ जाना तथा अन्य जगह पर भी गंभीर मूदी चोटें आना बताया है। उसके द्वारा इलाज संबंधी दस्तावेज प्र.पी. 263 लगायत 271 पेश किए गए हैं जो कि एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 266 भी प्रकरण में संलग्न है। उक्त एक्सरे रिपोर्ट में आहत के किसी भी अस्थि में अस्थिभंग होना पाया जाना दर्शित नहीं होता है। आहत को जो चोटें आई हैं वह गंभीर प्रकार की नहीं कही जा सकती है, बल्कि वह साधारण प्रकार की होना पायी जाती है।

20. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 20.11.2013 पटेल मार्केट के सामने ग्वालियर भिण्ड आम रोड गाहद चौराहा में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा ट्रक क्रमांक यू0पी075 एम 1794 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त दुर्घटना में क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2014 की आवेदिका लक्ष्मी शर्मा को गंभीर उपहति आई, जबकि अन्य क्लेम

प्रकरण क्रमांक 11/2014 के आहत प्रशांत शर्मा एवं क्लेम प्र0कं0 09/2014 के आहत लीलाधर शर्मा को गंभीर उपहति आना प्रमाणित नहीं है, बल्कि उनके शरीर पर साधारण उपहतियाँ आना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर प्रश्नाधीन वाहन के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है, किन्तु उक्त दुर्घटना में क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/14 की आवेदिका लक्ष्मी शर्मा को गंभीर उपहति आना प्रमाणित होती है, जबकि अन्य प्रकरण क्रमांक 11/2014 एवं प्र0कं0 09/2014 के आहतों को गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार उक्त तीनों ही प्रकरणों के बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2014 का बिन्दु क्रमांक 2 :-

21. उपरोक्त प्रकरण की आवेदिका लक्ष्मी शर्मा के द्वारा अपने अभिवचन में दुर्घटना के कारण उसे गंभीर चोटें आने से स्थाई बिकलांगता आना अभिकथित किया है, इस संबंध में अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसे चोटों के कारण उसके बाएँ पैर में स्थाई अशक्तता आ गई है और पैर छोटा हो गया है तथा वह सभी कार्य करने में असमर्थ हो गई है। इस संबंध में बिकलांगता बावत् प्रमाणपत्र प्र.पी. 278 पेश करना उसके द्वारा बताया गया है।

22. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदिका लक्ष्मी शर्मा के द्वारा प्रस्तुत इलाज के संबंध में प्रमाण एवं मेडीकल प्रमाण, बिल व पर्चे जो कि प्र0पी0 21 लगायत 262 तथा 279 लगायत 292 से यद्यपि उक्त आहता को बाएँ पैर में चोटें आकर फ्रेक्चर होना और उसका लम्बा इलाज चलने के संबंध में तथ्य आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहता के पैर में कम्पाण्ड फ्रेक्चर पाया गया है और उसका इलाज चला है, इस परिप्रेक्ष्य में उसे स्थाई अशक्तता आने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, जैसा कि इस संबंध में इस बिन्दु पर **कमल कुमार जैन वि० ताजुद्दीन बगैरह 2004(2) एम.पी.एल.जे. 472** में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र अस्थिभंग होने के आधार पर उसे स्थाई अशक्तता आना नहीं माना जा सकता है।

23. आवेदिका के द्वारा स्थाई अशक्तता के संबंध में मेडीकल बोर्ड द्वारा उसे कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया हो पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में प्र.पी. 278 का एक कथित रूप से प्रस्तुत बिकलांगता प्रमाणपत्र जो कि आवेदिका ने पेश किया है, किन्तु उक्त आवेदनपत्र को प्रमाणित करने हेतु संबंधित चिकित्सक के कथन आवेदिका के द्वारा नहीं कराए गए हैं। उक्त चिकित्सक के द्वारा कहीं भी आवेदिका का कोई इलाज किया जाना भी दर्शित

नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र दस्तावेज प्र.पी. 278 जो कि विधिवत कहीं भी प्रमाणित नहीं है के आधार पर आवेदिका को स्थाई बिकलांगता आना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 11/2014, 09/2014 के बिन्दु क्रमांक 2 :-

24. क्लेम प्रकरण क्रमांक 11/2014 के आहत प्रशांत एवं प्रकरण क्रमांक 09/2014 के आहत लीलाधर को गंभीर चोटें आकर स्थाई अशक्तता आने के संबंध में उनके द्वारा अभिवचन किया गया है, किन्तु पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट होता है कि उक्त आहतों को किसी प्रकार की कोई गंभीर उपहति दुर्घटना में आनी प्रमाणित नहीं है। उक्त दोनों ही प्रकरणों के आहतों को दुर्घटना में आई हुई चोटों से किसी प्रकार की स्थाई अशक्तता आने के तथ्य के संबंध में भी कोई प्रमाण पेश नहीं है, जिससे कि उन्हें स्थाई अशक्तता आने का तथ्य किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

तीनों ही क्लेम प्रकरण के बिन्दु क्रमांक 3 व 4:-

25. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है, जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास उसे चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन ट्रक दुर्घटना दिनांक को परिमित व फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था जिस कारण बीमा कम्पनी की शर्तों एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होता है इस कारण बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व न होना उनके द्वारा अभिवचित किया गया है।

26. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। बीमा कम्पनी जिस पर कि उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार है के द्वारा उक्त बिन्दु पर किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे कि यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के पास उक्त प्रकार के वाहन को चलाने हेतु कोई वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था अथवा वाहन उचित परिमित अथवा फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था। ऐसी दशा में उक्त बिन्दु प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2014 का बिन्दु क्रमांक 5 :-

27. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी075 एम 1794 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटना समय व स्थान पर दुर्घटना कारित की गई। उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का होना भी अविवादित है तथा दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 3 में वाहन बीमित होना भी प्रमाणित है। बीमा पॉलिसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तों का कोई उल्लंघन होना भी नहीं पाया गया है।

28. उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप वर्तमान प्रकरण की आवेदिका लक्ष्मी शर्मा को आई हुई उपहति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है, आहता लक्ष्मी शर्मा को दुर्घटना के कारण अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित हुई है, जैसा कि पूर्ववती विवेचना में भी स्पष्ट किया गया है और इस संबंध में उक्त आहता का लम्बा इलाज भी चला है जो कि इलाज के संबंध में आवेदिका के द्वारा बिल एवं पर्चे, इलाज संबंधी केश सीट प्र.पी. 21 लगायत 262 तथा प्र.पी. 279 लगायत 292 पेश किए गए हैं और उसका इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर राजू वैश्य अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के भी कथन कराए गए हैं, जिन्होंने कि आहता के बाएं पैर की टीविया एवं फिबूला हड्डी का इलाज और अलग अलग ऑपरेशन आदि करना बताया है एवं उसका इलाज दिल्ली व सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर में करना भी बताया है। इस संबंध में डिस्चार्ज टिकिट को भी अपोलो हॉस्पिटल से जारी होना उनके द्वारा बताया गया है। सहारा हॉस्पिटल में आवेदिका का इलाज होना और उसका भर्ती रहने के संबंध में रिकार्ड कीपर सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर का कथन कराया गया है जिनके द्वारा डिस्चार्ज टिकिट प्रमाणित किए गए हैं।

29. आहता लक्ष्मी शर्मा के द्वारा इलाज के संबंध में जो बिल एवं पर्चे पेश किए गए हैं उनके अनुसार बिल की राशि 7,65,907/- रुपए जो कि राउण्ड फिगर में 7,65,900/- रुपए होती है, उक्त राशि आवेदिका को दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवेदिका को इलाज के दौरान आने जाने में व्यय हुआ होगा एवं इस हेतु अटेंडर भी रखना पड़ा होगा तथा पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा होगा तथा उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट भी सहन करना पड़ा होगा। आवेदिका का इलाज जो कि काफी लम्बा चला है उसे आने जाने एवं अटेंडर के व्यय के रूप में 20,000/- रुपए की राशि दिलाया जाना उचित होगी, पोष्टिक आहार के मद में आवेदिका को 15,000/- रुपए की राशि

दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवेदिका को चोटों के कारण शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन करना पडा होगा, उक्त मद में आवेदिका को 40,000/- रूपए दिलाया जाना उचित होगा। आवेदिका को चोटों के कारण आमंदनी के नुकसान का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदिका का कोई काम धंधा कर आमंदनी अर्जित करती हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है, इस परिप्रेक्ष्य में आमंदनी के नुकसान के मद में आवेदिका को पृथक से कोई राशि दिलाया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार आवेदिका को कुल प्रतिकर की राशि 8,40,900/- दिलाया जाना उचित होगा।

30. प्रतिकर की राशि अदायगी का दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 8,40,900/- रूपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति से बसूली तक 6 प्रतिशत व्याज आवेदिका अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पायी जाती है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 कं0 11/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

31. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी075 एम 1794 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटना समय व स्थान पर दुर्घटना कारित की गई। उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का होना भी अविवादित है तथा दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 3 में वाहन बीमित होना भी प्रमाणित है। बीमा पॉलिसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तों का कोई उल्लंघन होना भी नहीं पाया गया है।

32. उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप वर्तमान प्रकरण के आहत प्रशांत को आई हुई चोटों का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त आहत को घटना में चोटें आई हैं। इस संबंध में उसके चोटों के इलाज के संबंध में बिल व पर्चे प्र.पी. 1 लगायत 12 उसके द्वारा पेश किए गए हैं। जो कि प्र.पी. 2 का फाइनल बिल 5765/- रूपए की राशि का पेश किया गया है जो कि उसके पिता जगदीश के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त बिल में अन्य सभी बिल भी समायोजित हैं। उक्त बिल की राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त उक्त आहत को इलाज हेतु आने जाने एवं पोस्टिक आहार का सेवन भी किया होगा तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा होगा। उक्त सभी मदों में आवेदक को 5035/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि

10,800/- रूपए होगी। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक आवेदक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है।

33. प्रतिकर की राशि अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 10,800/- रूपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति से बसूली तक 6 प्रतिशत ब्याज आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाता है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 कं0 09/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

34. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी075 एम 1794 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटना समय व स्थान पर दुर्घटना कारित की गई। उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का होना भी अविवादित है तथा दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 3 में वाहन बीमित होना भी प्रमाणित है। बीमा पॉलिसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तों का कोई उल्लंघन होना भी नहीं पाया गया है।

35. उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप वर्तमान प्रकरण के आहत लीलाधर को आई हुई चोटों का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त आहत को घटना में चोटें आई हैं। इस संबंध में उसके चोटों के इलाज के संबंध में बिल व पर्चे प्र.पी. 263 लगायत 271 उसके द्वारा पेश किए गए हैं। उक्त बिल व पर्चे की राशि 2437/- रूपए है जो कि राउण्ड फिगर में 2440/- रूपए आवेदक को दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त उक्त आहत को इलाज हेतु आने जाने एवं पोस्टिक आहार का सेवन भी किया होगा तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ा होगा। उक्त सभी मदों में आवेदक को 5060/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 7,500/- रूपए होगी। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक आवेदक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है।

36. प्रतिकर की राशि अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 7,500/- रूपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति से बसूली तक 6 प्रतिशत ब्याज आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से

प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाता है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 कं0 10/2014 का बिन्दु क्रमांक 6

सहायता एवं व्यय:-

37. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदिका अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 8,40,900/- रूपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने की अधिकारी होगी।
2. उक्त राशि जमा होने पर आवेदिका को प्राप्त होने वाली राशि का 40 प्रतिशत भाग 07 वर्ष की अवधि के लिए एवं 30 प्रतिशत भाग 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में आवेदिका के नाम पर जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
3. अभिभाषक शुल्क 1000/- रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

क्लेम प्र0 कं0 11/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

38. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 10,800/- रूपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होगी।
2. आवेदक जो कि नाबालिग है उसे प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि उसके बालिग होने तक उसके सरपरस्त पिता जगदीशप्रसाद के माध्यम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के

सावधि खाते में जमा किये जाए।

3. अभिभाषक शुल्क 500/- रुपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

क्लेम प्र0 क0 09/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

39. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 7,500/- रुपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूती तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होगी।
2. उक्त राशि जमा होने पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते के माध्यम से आवेदक को नगद भुगतान की जाए।
3. अभिभाषक शुल्क 500/- रुपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुघर्टना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुघर्टना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड